भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 6626

(शुक्रवार, 06 अप्रैल, 2018/16 चैत्र, 1940 (शक) को दिया गया)

एमएसएमई क्षेत्र हेतु दिवालिया कूट

6626. श्री वाई.वी. सुब्बा रेड्डीः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय भागीदारी और स्वामित्व कंपनियों हेतु किसी अन्य दिवालिया कूट पर कार्य कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या प्रस्तावित कूट का प्रयोग सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) क्षेत्र हेतु भी किया जा रहा है; और
(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित नए कूट का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरुण जेटली)**

(क) से (ग): जी नहीं। यह मंत्रालय भागीदारी और स्वामित्व फर्मों या सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों के लिए किसी अलग शोधन अक्षमता संहिता पर कार्य नहीं कर रहा है। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में व्यक्तियों और भागीदारी फर्मों के लिए दिवाला समाधान और शोधन अक्षमता का पहले से ही प्रावधान है।

*****